

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष— जगदीश महतोबगैरह।

बनाम

वाद सं० 56/2021

द्वितीय पक्ष— दुर्गा महतो बगैरह।

आदेश
की
क्र०
सं०
एवं
तिथि

दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश
पर की
गई
कार्रवाई
टिप्पणी

9.2.21

उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्रथमिकी सं० 22/2021 दिनांक 08/07/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) जगदीश महतो उम्र 38 वर्ष पिता स्व० बुधनाथ महतो (2) राम प्रसाद महतो उम्र 55 वर्ष पिता स्व० लोकनाथ महतो दोनो सा० कलिगा थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) दुर्गा महतो उम्र 42 वर्ष (2) नकुल महतो उम्र 50 वर्ष (3) बिनोद महतो उम्र 55 वर्ष तीनों पिता लक्ष्मण महतो ग्राम कलिगा थाना बसिया जिला गुमला के बीच पुराने रास्ते को द्वितीय पक्ष द्वारा बंद करने को लेकर विवाद होने के कारण अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-

उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है।

अतः उभय पक्षों के पक्षों उक्त वाद की कार्रवाई के बीच किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद पर कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित ।



अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।